दिनांक 04.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 560 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 04.11.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा इकाई** द्वारा प्रवेन्द्र सिंह निवासी गडी गुलजारी थाना किरावली आगरा से घर का कनैक्शन जोड़ने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक सुबोध कुमार के नेतृत्व में ग्राम बरारा थाना मलपुरा आगरा से **विद्युत विभाग के यशपाल सिंह (पेट्रोल मैन/संविदाकर्मी 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सहारा आगरा)** पुत्र मेवसिंह निवासी ग्राम व पोस्ट करारा थाना किरावली आगरा को **15 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 04.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 561/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली काल्पी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 04.11.2026 को थाना कोतवाली काल्पी, थाना उरई, थाना कदौरा व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त पवन उर्फ मोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली काल्पी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से एक लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद जालौन व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर हत्या, सदोष मानव बध आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली काल्पी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पवन उर्फ मोनू निवासी मोहल्ला तरूण विहार थाना गुजैनी , कानपुर नगर।

बरामदगी

1–01 मोबाइल फोन।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बलिया/थाना नगरा

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.11.2026 को थाना नगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लिलकर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बलिया के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नगरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुन्ना निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया।

जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.11.2026 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्राइवेट बस अड्डा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राकेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राकेश उर्फ राजू निवासी खुरशु थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ़

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 दो पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 03.11.2026 को थाना बाबूगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अल्लीपुर अण्डरपास से गढ़मुक्तेश्वर की ओर जाने वाली सर्विस रोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मुनीर सहित अभियुक्त 2–गौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 दो पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मुनीर के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, रामपुर, हापुड व मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग एवं अभियुक्त गौरव के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, हापुड़ व मेरठ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त मुनीर थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुनीर निवासी नवाबपुरा थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद।

2–गौरव निवासी ग्राम डिटोरा थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 01 दो पहिया वाहन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बलिया/थाना बैरिया

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 03.11.2026 को थाना बैरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिरैया मोड़ के पास से अभियुक्त विकास को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.11.2026 को थाना बैरिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बैरिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बैरिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी गोविन्दपुर थाना बैरिया जनपद बलिया।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण आदि।

- **जनपद एटा/थाना मिरहची (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 46–46 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मिरहची पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/147/148/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शीलेश 2–विनोद 3–साहूकार को आजीवन कारावास व 46–46 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना खागा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 16–16 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना खागा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4

डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–निरंजन 2–रामप्रताप 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 16–16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना को0कायमगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना को0 कायमगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/394 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त महेश को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना राजा का रामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना राजा का रामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 85/80(2) बीएनएस व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हेमन्त उर्फ गौरव को आजीवन कारावास व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/115(2) बीएनएस व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ईश्वर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना बांसडीह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 87–87 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1)/190/109(1)/190/191(3)/191(2)/115(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त 1–धर्मेन्द्र उर्फ बागी 2–अंकित को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 87–87 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————